न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/163/2022	2022/257	31.05.2022	14.11.2022

1. जियाराम
2. हरिसिंह
3. पूर्ण पुत्रान जुगला जाति सैनी (माली) निवासीयान वार्ड नं0 2, कच्चा बाग, भिवाड़ी–अलवर हाईवे रोड़, तिजारा जिला अलवर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भरतसिंह
2. हेमन्त कुमार
3. दीपक कुमार पुत्रान काशीराम
4. मुकेश कुमार पुत्र पदमचन्द
5. जयपाल
6. हीरालाल पुत्रान किशोरीलाल जाति सैनी निवासी मैन बाजार होली टीबा तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री मोहन सिहं नरूका –वकील प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी भरतसिंह बनाम जियाराम को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी के समक्ष तर्को व दृष्टांतों के साथ रखते है। पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के पक्ष को सुनने को तैयार नहीं होते। दूसरे पक्ष के कहे अनुसार कार्य करते है। भरत सिंह को उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर व घर पर बैठा हुआ देखा है। प्रकरण में पक्षपात किया जा रहा है। हम प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी अनुपस्थित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि विचाराधीन वाद में न्यायोचित कार्यवाही की जा रही है। प्रा0पत्र में अंकित बिन्दू अस्वीकार व मनगढंत है। प्रकरण में उभय–पक्षकार की बहस उपरांत ही न्यायिक प्रकिया के तहत कार्यवाही की गयी है। यदि उक्त प्रकरण को यदि किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित कथन मात्र काल्पनिक एवं मनगढंत है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल

जिला कलेक्टर, अलवर

करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)